आदिवासी विकास विभागांतर्गत अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक व ए.आ.वि.प्र, नंदुरबार अंतर्गत नंदुरबार तालुका विधायक समिती नंदुरबार, ता. जि. नंदुरबार व्दारा संचलित अनुदानित आश्रमशाळा नंदुरबार, ता. जि. नंदुरबार या आश्रमशाळेस शैक्षणिक वर्ष सन २०२५-२६ पासून श्रेणीवाढ करुन इयत्ता ८ वी ते १० वी चे वर्ग सुरु करण्यास मंजूरी देण्याबाबत.

### महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. अआशा.२०२३/प्र.क्र.१०९(०५)/का.११

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक : २९ एप्रिल, २०२५

### संदर्भ :

- १. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. अआशा. १०९९/प्र. क्र. २/९९/का. ११, दि. ०१.०२. १९९९.
- २. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. शाआशा.२०१२/प्र.क्र.३७०/का.१३, दि. २३.०१.२०१४.
- ३. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- अआशा-२०१९/ प्र.क्र.१०२/का-११, दि. ११ जून, २०१९.
- ४. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ. वि. प्र. नंदुरबार यांचे पत्र क्र. अनुआशा-२०२०/प्र.क्र./का-११ (५)/३०३७, दि. २६.०८.२०२१.
- ५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. अनुआशा-२०२२/प्र.क्र./का-११ (२) / १५६४, नाशिक, दिनांक ३०/०३/२०२२.
- ६. आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांचे पत्र क्र. अआशा -२०१९/ प्र.क्र.२८/ का ७ (१) /२३४३, दि. २१ एप्रिल, २०२२.
- ७. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. अनुआशा-२०२३/प्र.क्र./का-११ (२) / ५०४, नाशिक, दिनांक ३० जानेवारी, २०२३.
- ८. आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांचे पत्र क्र. अआशा -२०२२/ प्र.क्र. ७८/ का.७ (१)/१०१०, दि. ०८ फेब्रुवारी, २०२३.
- ९. मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त.
- १०. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: अआशा-२०२४/प्र.क्र.२१२/का.११, दिनांक ०९ एप्रिल २०२५.

#### प्रस्तावना-

महाराष्ट्र राज्यातील डोंगराळ व दुर्गम भागातील आदिवासींमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा या हेतूने शासनाने सन १९७२-७३ पासून "आश्रमशाळा समूह" योजना सुरु केली या योजनेंतर्गत सध्या स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या एकूण ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा असून त्यापैकी ५८ प्राथमिक अनुदानित आश्रमशाळा (इयत्ता १ ली ते ७ वी) व ३३२ माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळा (इयत्ता १ ली ते १० वी) सुरु आहेत. तसेच माध्यमिक आश्रमशाळा संलग्न १६६ कनिष्ठ महाविद्यालये (इयत्ता १ ली ते १२ वी) सुरु आहेत.

सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून १७ अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळांमध्ये इ. ८ वी ते इ. १० वी पर्यंत श्रेणीवाढ करणे व ४४ अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळांना संलग्न किनष्ठ महाविद्यालये (इयत्ता ११ वी व १२ वी, कला व विज्ञान शाखा) मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये मा. मंत्रिमंडळाने आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संस्थाव्दारा संचलित १७ अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळा व ४४ अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळांमध्ये श्रेणीवाढ करण्याच्या विभागाच्या प्रस्तावास मंजूरी दिली आहे. त्यानुषंगाने यासंदर्भात शासन आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

#### शासन निर्णय:-

मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मंजूरीच्या अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागांतर्गत अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक व ए.आ.वि.प्र, नंदुरबार अंतर्गत नंदुरबार तालुका विधायक समिती, नंदुरबार, ता. जि. नंदुरबार व्दारा संचिलत अनुदानित आश्रमशाळा, नंदुरबार, ता. जि. नंदुरबार या अनुदानित आश्रमशाळेस शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून श्रेणीवाढ मंजूर करुन इयत्ता ८ वी ते १० चे वर्ग सुरु करण्यास तसेच आश्रमशाळेस मंजूर करण्यात आलेल्या इयत्ता ८ वी ते १० या वर्गाकरीता आवश्यक पदनिर्मिती तसेच तद्नुषंगिक पदनिर्मिती व अनुज्ञेय अनुदानावरील खर्च यास सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- अ प्रमाणे मान्यता देण्यात येत असून संस्थेस खालील अटी-शर्ती लागू राहतील.

- 9. **नंदुरबार तालुका विधायक समिती, नंदुरबार, ता. जि. नंदुरबार** या संस्थेने आश्रमशाळेसंदर्भात श्रेणीवाढीचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर श्रेणीवाढीचे वर्ग शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून सुरु करावेत. वर्ग सुरु केल्यानंतर ३० दिवसांचे आत **आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक व अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक तसेच प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नंदुरबार यांना कळविण्यात यावे.**
- २. शैक्षणिक वर्ष सन २०२५-२६ पासून इयत्ता ८ वी, शैक्षणिक वर्ष सन २०२६-२७ पासून ९ वी व शैक्षणिक वर्ष सन २०२७-२८ पासून इयत्ता १० वी चे वर्ग सुरु करण्यात यावेत.
- ३. श्रेणीवाढ करण्यात आलेल्या संबंधित संस्थेस अनुदानित आश्रमशाळेसाठी आश्रमशाळा संहिता २०१९ मधील मानकामध्ये नमूद सर्व भौतिक सोयी-सुविधांनी युक्त आश्रमशाळेची व वसतिगृहाची स्वत:ची सुसज्ज पक्की इमारत श्रेणीवाढीपासून/मान्यतेपासून दोन वर्षात बांधणे बंधनकारक राहील.
- ४. संस्थेने आश्रमशाळेत वर्गखोल्या व निवासाची स्वतंत्र इमारतीमध्ये व्यवस्था करावी. तसेच इमारतीमध्ये मानकाप्रमाणे स्नानगृहे, शौचालये उपलब्ध करुन द्यावीत आणि शुध्द पाण्याची मुबलक व्यवस्थाही उपलब्ध करून द्यावी.
- ५. श्रेणीवाढीची मान्यता देण्यात आलेल्या अनुदानित आश्रमशाळेस शैक्षणिक दर्जा उंचावणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने अशा आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचा वार्षिक निकाल किमान ८० टक्के असावा तसेच त्यापैकी किमान ६० टक्के विद्यार्थ्यांना प्रथमश्रेणी मिळणे आवश्यक राहील. सदर आश्रमशाळेमध्ये प्रशिक्षित अर्हताकारी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती नियमानुसार करण्यात यावी.
- ६. संस्थेने शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची नियुक्ती करताना शासनाने विहित केलेल्या अटी-शर्ती व नियमांचे पालन करावे. विहित अर्हताप्राप्त कर्मचा-यांची नेमणुक न केल्यास संस्थेस देय असलेले अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही. प्रकरणपरत्वे आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल. अप्रशिक्षित शिक्षक

उमेदवारांची नियुक्ती केल्यास त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी शासनाची राहणार नाही व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेची राहील याची संस्थेने नोंद घ्यावी.

- ७. आश्रमशाळेतील आवश्यक पद भरतीसाठी अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांची मान्यता घेण्यात यावी. पदमान्यता देताना संदर्भ क्र. १ मधील नमूद शासन निर्णय दिनांक ११.०६.२०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच संदर्भ क्र.९ येथील दि.०९.०४.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे.
- ८. नंदुरबार तालुका विधायक समिती, नंदुरबार, ता. जि. नंदुरबार व्दारा संचलित अनुदानित आश्रमशाळा, नंदुरबार ता. जि. नंदुरबार या आश्रमशाळेस शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या सुत्रानुसार अनुदान अनुज्ञेय राहील.
- ९. संस्थेने अनुदानित आश्रमशाळासाठी 'आश्रमशाळा संहिता' तसेच शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी, शर्ती व नियमांचे पालन करावे.
- 90. प्रत्येक वर्गात कमाल ४० निवासी व १० बहिस्थ विद्यार्थी असावेत. सर्व निवासी विद्यार्थी हे अनुसूचित जमातीचे असतील.
- 99. शासनाने विहित केलेल्या अटी, शर्ती व नियमांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच उपरोक्त आश्रमशाळेबाबत गैरव्यवहार/गैर व्यवस्थापन याबाबत तक्रारी आल्यास संस्थेच्या आश्रमशाळेची श्रेणीवाढ/मान्यता रद्द करण्यात येईल.
- 9२. बालकांचा सक्तीचा व मोफत शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या सोयी-सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करणे व शिक्षणाचा स्तर उत्कृष्ट ठेवणे संस्थेवर बंधनकारक राहील.
- 9३. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी उपरोक्त बाबत आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. यासाठी येणारा खर्च अनुदानित आश्रमशाळांच्या संबंधित अर्थसंकल्पिय लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
- २. सदरहू शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाने दिनांक ११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मंजूरी अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०४२९१२०९३४९६२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने.

(प्रविण गो. साठे) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

#### प्रत-

- १. मा. राज्यपालांचे सचिव यांचे कार्यालय, राजभवन, मुंबई.
- २. मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य.

- ३. मा. विधानसभा/विधानपरिषद विरोधी पक्षनेता.
- ४. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ५. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ६. मा. लोक आयुक्त आणि उप लोकायुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
- ७. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई.
- ८. सचिव, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई.
- ९. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक.
- १०. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.
- ११. जिल्हाधिकारी, धुळे.
- १२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर.
- १३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर.
- १४. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक.
- १५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, नंदुरबार.
- १६. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- १७. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नंदुरबार.
- १८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार.
- १९. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, नंदुरबार.
- २०. सचिव/अध्यक्ष, शिरपुर एज्युकेशन सोसायटी, शिरपुर, ता. शिरपुर, जि. नंदुरबार.
- २१. कार्यासन ११.संग्रहार्थ.

## परिशिष्ट- अ

# प्राथमिक अनुदानित आश्रमशाळेस श्रेणीवाढ मंजूर केल्यानंतर सदर अनुदानित आश्रमशाळेत माध्यमिक वर्ग सुरु केल्यानंतर येणाऱ्या बाब निहाय खर्चाचा व पदांचा तपशिल .

|        |   |              |  | (सन २०२५-२६ य  | ा प्रथम वर्षासाठी  | । येणारा अंदाजे ख  | र्च)   |                           |  |
|--------|---|--------------|--|--|--------------------|--|--|---------------------------|--|
|        |   |              |  |  | रुपये              |  |  |                           |  |
| अ.क्र. | संवर्ग  | पव           | संख्या   | वार्षिक वेत  | न परि              | पोषण अनुदान  | आकस्मिक अनुदान १२ टक्के व<br>८ टक्के               | एकूण                      |  |
| 9      | माध्यमिक शिक्षक   |              | 9  | <ul> <li>प्रथम वर्षी वेतन व अनुदान देय नाही. फक्त लाक्षणिक अनुदान प्रत्येक आश्रमशाळेसाठ</li> </ul> |                    |  |  |                           |  |
| २      | प्रयोगशाळा परिचर  |              | 9  | रु. १०,०००/- (शा.नि.क्र.अनुआशा.१०९९/प्र.क्र.९१/९९/का.११ दि. २७.०९.१९९९                             |                    |  |  |                           |  |
| 3      | स्वंयपाकी   |              | व शा.नि.क्र. अनुआशा.१०९९/प्र.क्र.९१/९९/का.११,<br>दि. २९.०३.२००० अन्वये प्रथम वर्षी वेतन व अनुदान देय नाही) |  |                    |  |  |                           |  |
|        | एकूण इ  |              | 3  |  |                    |  |  |                           |  |
|        |   |              |  | सन २०२५-२६ या  | प्रथम वर्षाचा १ म  | ाध्यमिक आश्रमशा  | ळेकरीता एकूण खर्च                                  | 90,000/-                  |  |
|        |   |              |  | ।<br>(सन २०२६–२७ या  | व्दितीय वर्षासार्व | ो येणारा अंदाजे र  | वर्च)  |                           |  |
| अ.क्र. |   | पद<br>संख्या | म  | िसक वेतन   | वार्षिक वेतन       | परिपोषण अनुद<br>(इ.८ वी व ९ वी<br>० X २ = ८०)<br>प्रत्येकी ४०<br>विद्यार्थी प्रमाणे<br>१५०० X ८० X | ) ४ टक्के व ८ टक्के ५ व्य<br>ा वेतन आयोगानु<br>सार | एकूण<br>(रकाना ५+६+<br>७) |  |
| 9      | २   | 3            |  | 8  | Ч                  | Ę  | (9   | ć                         |  |
| ٩      | माध्यमिक शिक्षक   | ?            |  | - (मानधन प्रत्येकी<br>००० प्रमाणे)   | 9,९२,०००/-         | 92,00,000/   | - ૧,୦२,५७७/-                                       |                           |  |
| २      | प्रयोगशाळा परिचर  | 9            | •  | ३०,३६१/-   | ३,६४,३३२/-         |  |  |                           |  |
| 3      | स्वंयपाकी   | 9            |  | २५४८५/-  | ३०५८२०/-           |  |  |                           |  |
| 8      | कामाठी  | 9            |  | 23933/-  | २,७७,५९६/-         |  |  |                           |  |
|        | एकूण  | ч            |  | <b>९४,९७</b> ९   | 99,३९,७४८/-        | 9२,००,०००/   | - ৭,০२,५७७/-                                       | २४,४२,३२५/-               |  |
| सन २०३ | सन २०२६-२७ या  दुसऱ्या वर्षाचा १ माध्यमिक आश्रमशाळेकरीता एकूण अंदाजे खर्च |              |  |  |                    |  | रुपये-२४,४२,३२५                                    | <b>1</b> /-               |  |
| सन २०३ | २६-२७ या दुसऱ्या वष   | र्षासार्ठ    | ो एका आ  | श्रमशाळेसाठी पदनि  | ार्मिती            |  | ५ पदे  |                           |  |

|       |                              |                    | (सन 2027-2                                     | 8 या तृतीय वर्षास  | गठी येणारा अंदाजे खर्च)  |   |                           |
|-------|------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|---------------------------|
| अ.क्र | ं संवर्ग ं                   | पद सं<br>ख्या      | मासिक वेतन                                     | वार्षिक वेतन       | परिपोषण अनुदान<br>(इ.८ वी , ९ वी व १० वी)<br>प्रत्येकी ४० विद्यार्थी प्रमाणे<br>(४० X ३ = १२०)<br>(परि. अनुदान = १५०० X १२०<br>X १०) | आकस्मिक<br>अनुदान १२<br>टक्के व ८<br>टक्के ५<br>व्या वेतन<br>आयोगानुसार | एकूण<br>(रकाना ५+६+<br>७) |
| 9     | २                            | 3                  | 8  | ч                  | દ્દ  | (9  | ۷                         |
| ٩     | माध्यमिक<br>मुख्याध्याप<br>क | 9                  | ८०००/- (मानधन)                                 | ९६,०००/-           | 9८,००,०००/-  | २,२२,४३४/-  |                           |
| 7     | माध्यमिक<br>शिक्षक           | 8                  | ३२,०००/- (मानधन<br>प्रत्येकी ८००० प्रमा<br>णे) | 3,८४,०००/-         |  |   |                           |
| 3     | कनिष्ट<br>लिपिक              | 9                  | ३०,३६१/-                                       | ३,६४,३३२/-         |  |   |                           |
| 8     | प्रयोगशाळा<br>परिचर          | 9                  | ३०,३६१/-                                       | ३,६४,३३२/-         |  |   |                           |
| ч     | शिपाई                        | ٩                  | २३,१३३/-                                       | २,७७,५९६/-         |  |   |                           |
| 8     | स्वंयपाकी                    | २                  | 40,860/-                                       | ६,११,६४०/-         |  |   |                           |
|       | कामाठी                       | 9                  | २३,१३३/-                                       | २,७७,५९६/-         |  |   |                           |
|       | एकूण                         | 99                 | <b>ঀ,९७,९५८/</b> _                             | २४,७१,४९६/-        | 9८,००,०००/-  | २,२२,४३४/-  | <b>४३,९७,९३०/</b> -       |
| सन २  | ०२७-२८ या ति                 | रुपये- ४३,९७,९३०/- |  |                    |  |   |                           |
| सन २  | ०२७-२८ या ति                 | सऱ्या ति           | सऱ्या वर्षासाठी एका अ                          | गश्रमशाळेसाठी प    | दनिर्मिती  | १९ पदे  |                           |
|       |                              |                    | (सन २०२८-२                                     | ९ या चौथ्या वर्षार | प्ताठी येणारा अंदाजे खर्च)   |   |                           |
| अ.क्र | संवर्ग                       | पद<br>संख्या       | मासिक वेतन                                     | वार्षिक वेतन       | परिपोषण अनुदान<br>(इ.८ वी , ९ वी व १० वी)<br>प्रत्येकी ४० विद्यार्थी प्रमाणे<br>(४० X ३ = १२०)<br>(१५०० X १२० X १०)                  | आकस्मिक अ<br>दान १२ टक्के<br>८ टक्के<br>५ व्या वेतन<br>आयोगानुसार       | (रकाना<br>(५ +६ +७)       |
| 9     | २                            | 3                  | 8  | ч                  | Ę  | (9  | ۷                         |
| 9     | माध्यमिक<br>मुख्याध्यापक     | 9                  | ८,०००/-  | ९६,०००/-           | 9८,००,०००/-  | २,६८,७८५/-  |                           |
| ?     | माध्यमिक<br>शिक्षक           | 3                  | २४,०००/-<br>(रु.८००० प्रत्येकी मान्<br>धन )    | 7,८८,०००/-         |  |   |                           |
|       | माध्यमिक<br>शिक्षक           | 9                  | रु. ५८,९१७ /-<br>प्रत्यक्ष वेतन                | 0,00,008/-         |  |   |                           |
| 3     | कनिष्ट लिपिक                 | <u> 9</u>          | ३०,३६१/-                                       | 3,६४,३३२/-         |  |   |                           |
| 8     | प्रयोगशाळा<br>परिचर          | 9                  | ३०,३६१/-                                       | 3,६४,३३२/-         |  |   |                           |
| Ч     | शिपाई                        | 9                  | २३,१३३/-                                       | २,७७,५९६/-         |  |   |                           |
| 8     | स्वंयपाकी                    | २                  | 40,890/-                                       | ६,११,६४०/-         |  |   |                           |

|            | कामाठी                                     | 9            | २३,१३३/-  | २,७७,५९६/-             |   |   |                            |
|------------|--|--------------|---|------------------------|---|---|----------------------------|
|            | एकूण                                       | 99           | २,४८,८७५/-  | २९,८६,५००/-            | 9८,००,०००/-   | २,६८,७८५/-  | ५०,५५,२८५                  |
| प्तन २     | ०२८-२९ या चौ                               | रुपये- ५०    | रुपये- ५०,५५,२८५/-  |                        |   |   |                            |
|            |  |              | (सन २०२९-३०   | या पाचव्या वर्षा       | साठी येणारा अंदाजे खर्च)  |   |                            |
| अ.क्र      | संवर्ग                                     | पद<br>संख्या | मासिक वेतन  | वार्षिक वेतन           | परिपोषण अनुदान (इ.८ वी ,<br>वी व १० वी) प्रत्येकी ४०<br>विद्यार्थी प्रमाणे<br>(४० X ३ = १२०)<br>(१५०० X १२० X १०) | ९ आकस्मिक<br>अनुदान<br>१२ टक्के व ८<br>टक्के<br>५ व्या वेतन<br>आयोगानुसार | एकूण<br>(रकाना ५ +१<br>+७) |
| 9          | २  | 3            | 8   | ч                      | દ્દ   | (9  | ۷                          |
| 9          | माध्यमिक<br>मुख्याध्यापक<br>माध्यमिक शिक्ष | 9            | ८,०००/-<br>मानधन  | <b>%</b> ξ,000/-       | 9८,००,०००/-   | <b>३,२३,७७५/</b> -  | ५७,२१,२७९/                 |
| <b>२</b>   | क  | P            | १६,०००<br>प्रत्येकी मानधन  रु. ८०<br>०० /-प्रमाणे )             |                        |   |   |                            |
|            | माध्यमिक शिक्ष<br>क                        | <b>२</b>     | १,१७,८३४/-<br>(५८,९१७<br>प्रत्येकी प्रत्यक्ष वेतना<br>प्रमाणे ) | 98,98,00८/-            |   |   |                            |
| 3          | कनिष्ठ लिपिक                               | ٩            | ३०,३६१/-  | ३,६४,३३२/-             |   |   |                            |
| 8          | प्रयोगशाळा पर<br>िचर                       | 9            | ३०,३६१/-  | ३,६४,३३२/-             |   |   |                            |
| Ч          | शिपाई                                      | 9            | २३,१३३/-  | २,७७,५९६/-             |   |   |                            |
| 8          | स्वंयपाकी                                  | 2            | 40,860/-  | ६,११,६४०/-             |   |   |                            |
|            | कामाठी                                     | 9            | २३,१३३/-  | २,७७,५९६/-             |   |   |                            |
|            | एकूण                                       | 99           | २,९९,७९२/-  | ३५,९७,५०४/-            | 9८,००,०००/-   | 3,73,664/-  | ५७,२१,२७९/                 |
| सन २       | ०२९-३० या पाच                              | ाव्या वष     | <br>चिवा १ शाळेकरीता एकूण                                       | <br>  अंदाजे खर्च      |   | रुपये- ५७   | ,२१,२७९/-                  |
|            |  | (सन २        | ०३०–३१ या सहाव्या वष  | र्गापासून प्रत्यक्ष वे | तन विचारात घेता येणारा अंद  | ाजे खर्च)   |                            |
| अ.क्र<br>· | संवर्ग                                     | पद<br>संख्या | मासिक वेतन  | वार्षिक वेतन           | प्रमाणे (४० X ३ = १२०)  | आकस्मिक<br>अनुदान १२<br>टक्के व ८ टक्के<br>५ व्या वेतन                    | एकूण<br>(रकाना<br>५ +६ +७) |
| ٩          | २  | 3            | 8   | ч                      | १५०० X १२० X १०<br>६  | आयोगानुसार<br>७   | ۷                          |
| 9          | माध्यमिक<br>मुख्याध्यापक                   | 9            | ७३,६७२/-  | ८,८४,०६४/-             | 9८,००,०००/-   | ५,०४,६८२  |                            |
| २          | माध्यमिक शिक्ष<br>क                        | 8            | २,३५,६६८/-<br>(५८,९१७<br>प्रत्येकी )                            | २८,२८,०१६/-            |   |   |                            |
|            |  |              | yramı i   |                        |   | •   |                            |

| 8     | प्रयोगशाळा पर<br>िचर | ٩                 | ३०,३६१/-           | ३,६४,३३२/-          |             |          |           |
|-------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------|-----------|
| Ч     | शिपाई                | 9                 | २३,१३३/-           | २,७७,५९६/-          |             |          |           |
| 8     | स्वंयपाकी            | 7                 | 40,9 <u>0</u> 0/_  | ६,99,६४०/-          |             |          |           |
|       | कामाठी               | 9                 | २३१३३/-            | २,७७,५९६/-          |             |          |           |
|       | एकूण                 | 99                | ४,६७,२९८/-         | <b>५६,०७,५७६/</b> - | १८,००,०००/- | ५,०४,६८२ | ७९,१२,२५८ |
| इयत्त | T ८ वी ते १० श्रेण   | ११ पदे            |                    |                     |             |          |           |
| एका ग | गाध्यमिक आश्रम       | रुपये-१०          | रुपये-१०,०००/-     |                     |             |          |           |
| एका ग | गाध्यमिक आश्रम       | रुपये-२४,         | रुपये-२४,४२,३२५/-  |                     |             |          |           |
| एका ग | नाध्यमिक आश्रम       | रुपये-४६,         | रुपये-४६,९१,८८८/-  |                     |             |          |           |
| एका ग | गाध्यमिक आश्रम       | रुपये- ५०,        | रुपये- ५०,५५,२८५/- |                     |             |          |           |
| एका ग | गाध्यमिक आश्रम       | रुपये-५७,         | रुपये-५७,२१,२७९/-  |                     |             |          |           |
| एका ग | गाध्यमिक आश्रम       | रुपये-७९,१२,२५८/- |                    |                     |             |          |           |